

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)12/2014-

/कृ0, पटना, दिनांक

प्रेषक,

प्रभु राम (बि.प्र.से.)
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण मुख्यालय,
बिहार, पटना।

विषय :

राज्य योजना अन्तर्गत मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम वर्ष 2014-15 हेतु कुल 2697.313 लाख रु0 (छब्बीस करोड संतानवे लाख एकतीस हजार तीन सौ रुपये रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु कुल स्वीकृत राशि 1091.87 लाख रुपये (दस करोड़ एकानवे लाख सतासी हजार रुपये) में से अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 172.19 लाख रुपये (एक करोड़ बहत्तर लाख उन्नीस हजार रुपये) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप 172.19 लाख रुपये (एक करोड़ बहत्तर लाख उन्नीस हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 306 दि0 21.01.2016 द्वारा योजना अन्तर्गत मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम वर्ष 2014-15 हेतु कुल 2697.313 लाख रुपये (छब्बीस करोड संतानवे लाख एकतीस हजार तीन सौ रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु कुल स्वीकृत राशि 1091.87 लाख रुपये (दस करोड़ एकानवे लाख सतासी हजार रुपये) में से अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 172.19 लाख रुपये (एक करोड़ बहत्तर लाख उन्नीस हजार रुपये) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि के अन्तर्गत व्यय हेतु 172.19 लाख रुपये (एक करोड़ बहत्तर लाख उन्नीस हजार रुपये) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त 172.19 लाख रुपये (एक करोड़ बहत्तर लाख उन्नीस हजार रुपये) की निकासी मुख्य शीर्ष 2402- मृदा तथा जल संरक्षण, उप मुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या- 1, उपशीर्ष- 0101 भूमि संरक्षण कार्य, विपत्र कोड- पी2402007890101, राज्य योजना स्कीम कोड ए0जी0आर0:5038, विषय शीर्ष- 31 06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, वर्ष 2015-16 में उपबंधित 500.00 लाख रुपये (पाँच करोड़ रुपये) से विकलनीय होगा। आवंटित राशि अंतर विभागीय अंतरण जमा के माध्यम से बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसायटी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या PLA-265 में अंतरित की जायेगी।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक 2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 एवं 5294 दि0 17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के पश्चात अविलम्ब टी0भी0 नम्बर के साथ व्यय विवरणी निश्चित रुप से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(प्रभु राम)

सरकार के अपर सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक -

/भू०सं०, पटना, दिनांक

- प्रति :- 1. महालेखाकार, बिहार पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक - 182 (भोपटना)

/कृ०, पटना, दिनांक 27-01-2016

प्रति :- कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/ निदेशक उद्यान, बिहार/ निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/सभी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी -सह- सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा भूमि संरक्षण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना एवं आई०टी०मैनेजर कृषि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

24-1-16